

अधिवक्ता

पृष्ठ:-

ORDER SHEET

COURT JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. of 20

660366/16

Signature of
Parties or
pleaders where
Necessary

Order or Proceeding
Presiding Officer

Date of
order of
Proceeding

21-11/16 आज आरक्षी केन्द्र ~~राजपुर~~ के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक ~~उदय~~ अपराध
को द्वारा थान प्रमरी की ओर से अपराध
को 11/5/16 अंतर्गत धारा 34 ~~अवैध~~ अधीन दण्डनीय
भा0द0स0 / अधिनियम के अगियुक्तगण के विरुद्ध
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।
राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 ~~उप0~~

अभियुक्त / अभियुक्तगण ~~उप0~~ 30 ~~उप0~~ 21/11/16

निवासी / निवासगण ~~राजपुर~~ राज्य ~~राजपुर~~
थाना ~~राजपुर~~ जिला ~~राजपुर~~ की ओर से अधिवक्ता
उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण को ओर से अधिवक्ता
श्री ~~राजपुर~~ द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा0द0स0 / 34 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द0प्र0स0 के अधीन न्याय निकाय का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक कानून ~~660366/16~~ में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0स0 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों को निशुल्क दिलाए।

दृष्टि के कारण अभियुक्तगण को अभियुक्तगण के अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों को निशुल्क दिलाए।

चूँकि मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः सक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 300/ भा0द0स0/ 300/ अभियुक्त ने अपराध अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभियुक्त यथा रंगत उराके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से रचित किया गया। करार हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय रुपये अवसान तक की अवाधि के दण्ड एवं 500 रुपये व्यतिक्रम के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति..... रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति..... रुपये मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनागा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम अपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A. K. Gupta
Judicial Magistrate First Class,
Gohad District Court (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि रुपये अदा की जिसकी पावती बुक गई।
क0 6887 रसीद, क0 28 दी गई।
अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचालित हो।

गोहाड जिला
प्रथम प्रार्थना
मासिक मीटिंग
जिला

नेतराम